कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 674 /रामपुर/15575/2015/यूपी–205, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 20, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : रामपुर–केमरी मार्ग (ओ0डी0आर0 नं0–20) किमी0 3.135 की बायीं पटरी पर ग्राम–पहाड़ी के गाटा सं0–140 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक–161/22–2, दिनांक 29.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ अभी भी कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– बिन्दु–1 के कम में ऑनलाईन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(9) एव तद्नुसार बी–2.1 से 2.4 में गैर वनभूमि का क्षेत्रफल अंकित नहीं है।

2– बिन्दु–3 के कम में पृष्ठ–2 पर संलग्न टोपोशीट पर टाइटिल शीर्षक अंकित नहीं है।

3– बिन्दु–4 के कम में संलग्न प्रस्तावित स्थल का डिजिटल मैप अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुरूप नहीं है। पुराना डिजिटल मैप संलग्न किये जाने का क्या औचित्य है, इसे प्रस्ताव से पृथक करें।

4– बिन्दु–7 के कम में संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की गणना गलत दर पर की गयी है। ईको क्लास के अनुसार निर्धारित दर पर एन0पी0वी0 की संशोधित गणना संलग्न करें।

5– बिन्दु–13 के कम में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र को ऑनलाइन पार्ट–2 के Addition Information Details पर अपलोड नहीं किया गया है।

6– प्रस्ताव के किसी भी पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित कर तद्नुसार विषय सूची संलग्न नहीं की गयी है।

आप अवगत हैं कि भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में अपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करने की स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक–449/11सी, दि0 02.09.2016 द्वारा विषम परिस्थितियों से अवगत कराते हुए सम्बन्धित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, द्वारा आवश्यक **प्रमाण–पत्र** भी देने के निर्देश दिये गये हैं। अतः किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर त्रुटिरहित संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं किसी प्रकार की विषम परिस्थिति न होने दें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 674 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा को सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेषक, रामपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।